

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23, 1983/श्रावण 1, 1905
No. 275] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23, 1983/SRAVANA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1983

सा० का० नि० 577(अ) :— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो
गया है कि नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट औषधियों के उपयोग में मनुष्यों या
जीव-जन्तुओं के जाखिम में पड़ने की संभावना है और लोकहित में ऐसा करना
आवश्यक और समीचीन है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
(1940 का 23) की धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

उक्त औषधियों के भारत में आयात का प्रतिबंध करती है. अर्थात् :-

सारणी

1. नियालामाइड
2. प्रैक्टोलॉल
3. ऐमिडोपाइरीन
4. फेनैसिटिन
5. मेथपिरिलीन और उसके स्वयं

[सं० एक्स 11014/1/83-डी एम एस एड पीएफए]

एस० वी० सुब्रमणियन, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1983

G.S.R. 577(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the drugs specified in the Table below is likely to involve risk to human beings or animals and it is necessary and expedient in the public interest so to do;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 10A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the import into India of the said drugs, namely :—

TABLE

1. Nialamide.
2. Practolol.
3. Amidopyrine.
4. Phenacetin.
5. Methapyrilene, and its salts.

[No. X. 11014/1/83-DMS Q PFA]

S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.